



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022022-233065  
CG-DL-E-02022022-233065

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]  
No. 393]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2022

का.आ. 408(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. अनुराधा गुरु, आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को उस बोर्ड में उक्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 30/03/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग]  
मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2022

S.O. 408(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints Dr. Anuradha Guru, Economic Adviser, Ministry of Corporate Affairs as *ex-officio* member in the Insolvency and Bankruptcy Board of India to represent the said Ministry in that Board.

[F. No. 30/03/2016-Insolvency Section]  
MANOJ PANDEY, Jt. Secy.